प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
शंकरलाल पुत्र तेजाजी जाति माली निवासी बेरा सादुला जुंजाणी रोड भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी भीनमाल
प्रकरण अपील		53 /2017
कम्प्यूटर आई.डी		2017/00111

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

29.12.2017

अपीलांट व राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी का जवाब जरिए ई मेल प्राप्त हुआ।

अपीलांट द्वारा अपील में सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 730933 के संलग्न आवेदन पत्र के द्वारा चाही गई सूचना निशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी भीनमाल) द्वारा व्यक्त किया गया कि अपीलांट का आवेदन पत्र 20.11.2017 को प्राप्त हुआ। अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना बाबत प्रत्युतर कार्यालय स्तर से निर्धारित समयावधि के भीतर भिजवा गया है।अपीलांट द्वारा निर्धारित समयावधि पूर्व ही अपील पेश की गई है। अत: अपील को खारिज की जावे।

हमने लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी भीनमाल) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराये गये प्रत्युयतर पत्रांक/सू.अ.अ./17/5530 दिनांक 18.12.2017 का अवलोकन किया। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा सहायक कलेक्टर भीनमाल में कार्यरत महादेव ठाकुर की एलपीसी सहित सर्विस बुक के संबध सूचना में चाही गई।

सहायक कलेक्टर भीनमाल के कार्यालय में महादेव ठाकुर नाम का कोई कार्मिक नहीं होने बाबत राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को सूचित किया गया है। इस प्रकार राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी भीनमाल) ने अपीलार्थी को द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में दिया गया प्रत्युतर विधीवत है। अपीलांट को आवेदित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अत: अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

sd/-
(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर) जालोर